

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2023 - 24 ६६१७

दिनांक ०१/०१/२३

निमित्त:- अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

विषय :- बीची से रामपुर उपरेटी 2.68 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु।

Proposal no. FP/RJ/Road/6958/ 2014

संदर्भ :- MOEF का पत्र क्रमांक 02 दिनांक 05.04.2021 के क्रम में एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5409 दिनांक 25.06.2021 एवं 580 दिनांक 09.07.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त प्रकरण में MOEF का पत्र क्रमांक 02 दिनांक 05.04.2021 द्वारा जारी ई.डी.एस के बिन्दु संख्या 1 व 2 की पूर्ति कर पार्ट- 1 में अपलोड कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें साथ ही प्रकरण में FCA अधिनियम 1980 का उल्लंघन भी पाया गया है।

अतः प्रकरण में दोषी अधिकारीयों व कर्मचारीयों के नाम, पदनाम व वर्तमान पदस्थापन की रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें ताकि उच्च कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित की जा सके।

संलग्न:- पत्र

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2023-24/

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
Integrated Regional Office, Jaipur

Camp Office, Khandiya Bhawan, 5th Floor, Sector II, Aligarh, Lucknow-226024, Telefax-23244446
Email: fccz.ksa@nic.in, fccz.ksa@gmail.com

File No. SB/Raj/06/25/2015/FC/02

Date: 05/04/2014

सेवा -

शासन सचिव(वन),
राज्य वन विभाग,
राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान।

[Handwritten signature]

(Online Proposal No: FP/RJ/Road/6958/2014)

विषय: Diversion of 2.68 ha. of forest land for construction of BT road from Bichi to Rampur Upreti under RIDF VC in Rajasthan Baran Forest Division.(FP/RJ/Road/6958/2014)

सन्दर्भ: शासन शासन सचिव(वन), राजस्थान का पत्रांक-प.1(48)वन/2015, जयपुर, दिनांक-15.01.2014.

महोदय,

सम्बन्धित विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का काम करे जिसके माध्यम से राज्य सरकार को विभागीय प्रस्ताव पर कन्ट्र सरकार का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत सन्तुष्टि मिले तथा -

प्रकरण के परीक्षापरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि राज्य सरकार निम्न निम्नानुसार वन विभाग के सुचना इस वनविभाग को उपलब्ध कराए ताकि आप की कारवाई सुनिश्चित हो जाये -

- 1- Positional error has been found in the proposed CA land area, it needs to be rectified.
- 2- No Violation of Forest (Conservation) Act, 1980 certificate needs to be provided.

भवदीय,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक(कन्दारी),
क्षेत्रीय अधिकारी, जयपुर

प्रतिलिपि : (ई-मेल द्वारा)

1. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन अलाहा इस्टिडपुरनगर पुरिया जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, धारन, राजस्थान।
3. अधिशासी अभियंता, सा0नि0वि0, खण्ड, शाहवादा, राजस्थान।
4. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक(कन्दारी),
क्षेत्रीय अधिकारी, जयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2020-21/ 5801

दिनांक 31/7/2021

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता सा 0 नि 0 वि 0 खण्ड
शाहबाद।

विषय :-ग्राम बिचि से रामपुरउप्रेति रोड 2.68 है 0 में वन संरक्षण अधिनियम
1980 के उल्लंघन के संबंध में।

संदर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय
जयपुर का पत्र क्रमांक 02 दिनांक 05.04.21 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बिचिरामपुर से उप्रेति रोड 2.68 है 0
प्रस्तावित रोड पर FCA अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाया गया है। घटित वन
अपराध के समय दोषी अधिकारीयों व कर्मचारीयों के नाम, पदनाम व वर्तमान पदस्थापन
की रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा
सके।

(वी.चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक

बारां

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2021/ 5802

दिनांक 31/7/21

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.क्षेत्रीय वन अधिकारी केलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि घटित वन अपराध के समय आप
व आपके अधिनस्थ स्टाफ द्वारा क्या कार्यवाही की गई की स्पष्ट रिपोर्ट इस कार्यालय में
प्रेषित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(वी.चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक

बारां

संरक्षक कार्यालय
कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No., 07453-230244

मांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./ 2020-21/ 5409 दिनांक 25/6/21
मिम्ता:-

अधिशायी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 खण्ड
शाहबाद।

विषय :-ग्राम बिचि से रागपुरउप्रेति रोड 2.68 है0 में वन संरक्षण अधिनियम
1980 के उल्लंघन के संबंध में।

संदर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय
जयपुर का पत्र क्रमांक 02 दिनांक 05.04.21 के क्रम में।

मेदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बिचिरामपुर से उप्रेति रोड 2.68 है0
प्रस्तावित रोड पर FCA अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाया गया है। घटित वन
अपराध के समय दोषी अधिकारियों व कर्माचारियों के नाम,पदनाम व वर्तमान पदस्थान
की रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा
सके।

(वी.चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक
बारां

0/K

